

21.01.2026

वकिल प्रार्थीगण अनुपस्थित। चूंकि मूलवाद का निस्तारण हो चुका है। ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र अग्रे चलाने का औचित्य नहीं है। सिद्दाजा प्रार्थीगण का आवेदन पर इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

पक्षों की फैसल सुमार होकर दाखिल इफतर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा,

नाम: ... प्र. ...
...